**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना**
**(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)**

**आवेदकः–**

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्तः–**

श्री उमाशंकर सैन पुत्र रमेश चन्द सैन, उम्र 23 जाति सैन,
निवासी– 54 नाईयों की गली, कसाणी, कसारी (बडगांव) मंगलाना
तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर
(विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः– राजस्थान गृह उद्योग, सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी जिला नागौर।

**प्रकरण संख्याः– 51/2020**

**" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं 31(2) दण्डनीय धारा 58 "**

**उपस्थितिः–**

प्रतिवादी श्री उमाशंकर सैन पुत्र रमेश चन्द सैन, उम्र 23 जाति सैन

**–:निर्णय :–**

**दिनांकः– 10 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.03.2020 को समय 01:30 पी.एम. पर राजस्थान गृह उद्योग, सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी जिला नागौर पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

उमाशंकर सैन, गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी पर मालिक एवं खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते 10 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) आदि पदार्थ रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत नही किया।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक खुले लौहे के डिब्बे में लगभग 10 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 400/–नगद (अक्षरे चार सौ रू.मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q–1265, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1265 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता उमाशंकर सैन एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई , जिससे नमूना डिब्बों सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.03.2020 को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने डिब्बों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चमडी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को दिनांक 11. 03.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट /2020/267–68 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/121/Act/2020/67 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना Q-1265 Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक :–चिकि/FSSA/ जांच रिपोर्ट/2020/267–68 दिनांक 01.06.2020 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता उमाशंकर सैन ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाल मिर्च पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 में ही निर्धारित है। जो जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ (लाल मिर्च पाउडर) का विक्रय

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

करके अधिनयम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 10.02.2021 को अभियुक्त उमाशंकर सैन पुत्र रमेश चन्द सैन ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 06.03.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(5) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 10.02.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी खाद्य पदार्थ का खुली अवस्था में विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाल मिर्च पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(6) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.03.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 01:30 पी.एम. पर फर्मः–राजस्थान गृह उद्योग, सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति उमाशंकर सैन पुत्र रमेश चन्द सैन, उम्र 23 जाति सैन, निवासी– 54 नाईयों की गली, कसाणी, कसारी मंगलाना तह. कुचामन सिटी जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते लाल मिर्च पाउडर आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

ने रजिस्ट्रेशन नही होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक खुले लौहे के डिब्बा में लगभग 10 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह लाल मिर्च पाउडर का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 400/–नगद (अक्षरे चार सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1265 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता उमाशंकर सैन एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म– राजस्थान गृह उद्योग, सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी विक्रेता मालिक उमाशंकर सैन से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पाउडर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई थी। दो फार्म नं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.03.2020 को देकर रसीद प्राप्त की व शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 11.03.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/121/Act/2020/67 दिनांक 18.03.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

**Opinion-** The sample of Lal Mirch Powder bearing Code No. and Sr. No. Q- 1265 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **Contravenes Regulation No. 2.3.14.(15)** of Food Safety and Standards ( Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 **because it sold in loose condition.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता उमाशंकर सैन से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर का नमूना Q--.1265 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाल मिर्च पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहज जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/121/Act/2020/67 दिनांक 18.03.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता उमाशंकर सैन से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) नमूना नं.-1265 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम2011 विनियम 2.3.14(15) के तहत खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

...मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

## Prohibition and Restrictions on Sales:-

**2.3.14:-Restrictions relating to conditions for sale:-**

**(15):-No person shall sell powdered spices and condiments except under packed conditions.**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(अ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 31:– खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरणः–

31(2):–उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक, या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नही होगी, किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिट किया जाए।

धारा 58:–जो कोइ इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/267–68 दिनांक 01.06.20 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1265 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाल मिर्च पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः– राजस्थान गृह उद्योग, सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी नं. 83 व 84 कुचामन सिटी जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी उमाशंकर सैन पुत्र रमेश चन्द सैन, उम्र 23 जाति सैन, निवासी– 54 नाईयों की गली, कसाणी कसारी मंगलाना, तह. कुचामन सिटी जिला नागौर फर्मः– राजस्थान ग्रह उद्योग सब्जीमण्डी गुर्जर की थड़ी न. 83 व 84 कुचामन सिटी जिला नागौर पर राशि रुपये 16000/– ( अक्षरे रुपये सौलह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

10.3.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना**